57 दलित बाल एवं बंधुआ मज़दूर हुये आज़ाद। हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद से 47 और उ॰प्र॰ के रायबरेली से 10

adivasiduniya.com/57-दलित-बाल-एवं-बंधुआ-मज़दूर-ह/

20 hours ago आदिवासी दुनिया
0

(श्री दलसिंगार, प्रदेश अध्यक्ष बंधुआ मुक्ति मोर्चा, उ॰प्र॰)

बुन्देलखण्ड में कई वर्षों से भयंकर सूखे और अकाल के कारण हजारों दलित, और आदिवासी परिवार अपने घरो में ताला लगाकर पलायन कर चुके हैं। मानव तश्करों की गिद्ध निगाहें वाली क्षेत्रीय रिश्तेदार इन भूख से तड़फते लोगों को कई राज्यों में ईंट-भट्ठों से लेकर मुर्गी फार्म कृषि फार्म, खेतिहर कार्य, भवन निर्माण में हजारों परिवारों को ढ़केल दिया है और ये सब केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार के गरीब विरोधी उदासीन वातावरण के कारण है।

उत्तर प्रदेश सरकार के जिलाधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि रोजगार के अभाव में बहुत मामूली मजदूरी पर इन्हें प्रवासी बनकर अन्य राज्यों में पलायन होने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने इन मजदूर नागरिकों की सुख-सुविधा का कोई खयाल नहीं रखा। जिसके कारण यहां के हजारों दलित आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियां अन्य प्रदेशों में अपने बीबी बच्चों के साथ पलायन को मजबूर हैं।

16 मार्च, 2019 को उत्तर प्रदेश बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दलसिंगार जी के समक्ष ईंट-भट्ठा में कार्यरत मज़दूरों के परिवार वालों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई, कि पिछले कई महीने से जिला फतेहाबाद के ग्राम नेहला, में जे.बी.टी. ईंट-भट्ठा में चित्रकूट, बांदा उ॰प्र॰ के 47 बाल एवं बंधुआ मजदूरों से जबरिया ईंट पथाई का कार्य कराया जा रहा है, जब मज़दूरों ने जबरदस्ती काम करने से मना किया तो ईंट भट्ठा मालिक नितेश ने एक मज़दूर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके कारण मज़दूर के दोनों पैर ट्रैक्टर के नीचे आकर फैक्चर हो गया। उसके बाद मालिक ने धमकी दिया कि

किसी को नहीं बताना कि ट्रैक्टर से पैर फैक्चर हुआ है। अगर किसी को बताओगें तो उल्टे तुम सभी को फंसा दूंगा। जिसके कारण सभी मज़दूर भयभीत हो गये। शिकायतकर्ताओं ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि किसी तरह हमारे सभी बच्चों को वहां बचा लीजिये।

तत्पश्चात् प्रदेश अध्यक्ष श्री दलसिंगार जी ने तत्काल दिनांक 16 मार्च, 2019 को समय लगभग 1 बजे जिला उपायुक्त फतेहाबाद को पत्र लिखकर बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, इंटर स्टेट माईग्रेट वक्र्समैन एक्ट, 1979 एवं किशोर न्याय अधिनियम, 2002-2006, अनुसूचित जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989 के संदर्भ कानूनी कार्यवाही करने के लिए ईमेल कर उपायुक्त फतेहाबाद, हरियाणा से फोन पर बातचीत कर तत्काल कार्यवाही करने मांग की। शिकायत मिलने के तुरन्त बाद फतेहाबाद (हरियाणा) के उपायुक्त श्री धीरेन्द्र खडगटा ने फतेहाबाद के एसडीएम, सुरजीत सिंह नैन व अन्य सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश देकर ग्राम नेहला, में जे.बी.टी. ईंट-भट्ठा में चित्रकूट, बांदा उ॰प्र॰ के 47 बाल एवं बंधुआ मजदूरों मुक्त कराया।

लेकिन उस दिन काफी रात होने के वजह से सभी मज़दूरों को फतेहाबाद में रूकने की व्यवस्था कराई और अगले दिन 17 मार्च, 2019 को बिना मुक्ति प्रमाण पत्र दिये सभी मज़दूरों को जबरजस्ती ठेला गाड़ी में बैठाकर बांदा चित्रकूट के लिए भेज दिया, सभी बंधुआ मज़दूर आज दिनांक 18 मार्च, 2019 को चित्रकूट और बांदा में लगभग 2 बजे अपने घर पहुंचे है। उक्त संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष ने मज़दूरों को मुक्ति पत्र देने के विषय में अधिकारियों से फोन पर बात किया तो एस.डी.एम. फतेहाबाद ने कहा कि जब ऊपर से आदेश आयेगा तभी मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

अब सवाल यह कि क्या उक्त अधिकारियों को पता नहीं है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम, 1976 क्या है? अगर पता है तो मुक्ति प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया? अगर नहीं पता है तो क्यों नहीं? इस प्रकार अधिकारियों के लापरवाही के कारण लाखों/हजारों गरीब दलित आदिवासियों का शोषण होता है। इसके जिम्मेवार केन्द्र में और राज्य में बैठे सत्तारूढ़ पार्टियाँ है।

हरियाणा के फतेहाबाद से मुक्त हुये 47 मज़दूरों की सूची इस प्रकार है-चित्रकूट के ग्राम बगलई के राजाराम, शोभा, सुधा, मुन्नीलाल, राजाबाई, हरिश्चद्र, रत्ती, कमला, मनीषा, मनोज, पूनम, नरेश, प्रेमता, नरेन्द्र, फूलचन्द्र, आशा, रिंकी, पिंकी, प्रिती, आंशू, ग्राम भैंसौंधा के रामरहीम, हीरामनी, पूनम, चुनकावन, श्रवण, रामनारायण, चुनकी, विकाश, अवधेश, संतोशिया, अजय, मनधीर, राजू, गीता, पवन, शालनी, मोनका, और बांदा जिला के ग्राम पचोखर के सुमेर, राजेश, चन्दा, राधा, रूची, संजय, राकेश, सुमन, कंचन, धर्मेन्द्र इत्यादि। फतेहाबाद उपायुक्त को लिखा हुआ पत्र संलग्न है।

वहीं दूसरी तरफ रायबरेली (उ॰प्र॰) के तहसील लालगंज के गांव चुमतहर के आर.जी.एफ. ईंट-भट्ठा पर बांदा जिला के 10 बाल एवं बंधुआ मज़दूरों से भी जबरजस्ती ईंट पथाई का कार्य कराया जा रहा था। दिनांक 16 जनवरी, 2019 को बंधुआ मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दलसिंगार जी के पास जिसकी शिकायत आई। जिस शिकायत में यह पाया गया कि ईंट भट्ठा पर एक मजदूर की तबीयत खराब हुई और समय पर मालिक द्वारा इलाज कराने के लिए पैसे नहीं दिये गये जिसके कारण एक मज़दूर की तबीयत काफी दयनीय हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। इन मज़दूरों को भी न मुक्ति प्रमाण पत्र मिला और न मृतक के परिजनों को मुआवजा? जिलाधिकारी रायबरेली को लिखा हुआ पत्र संलग्न है रायबरेली से मुक्त हुए 10 मज़दूरों की सूची इस प्रकार है- बांदा जिला के ग्राम पून के मृतक शिवबाबू, रंची, रोशनी, शोभा, ओमप्रकाश, गौरा, सविता, कविता, रेखा, मंजू इत्यादि।

उपरोक्त संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे इन नागरिकों को सम्मान पूर्वक जिन्दगी जीने की सुरक्षा और अवसर प्रदान करे जो इन्हें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है और वे तमाम कानूनों का पालन करे जिससे बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, अनुसूचित जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम, 1989, इन्टर माईग्रेन्ट वक्र्समैन एक्ट, 1979 की धारा 370 (भारतीय दण्ड संहिता), न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 एवं किशोर न्याय अधिनियम 2000-2006 का खुला उल्लंघन ना हो सके।